

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(WATER/PHED)2020 / एफसीए/ प्रमुवसं/

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
(वन्यजीव), जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.66 ha. of Forest land for Construction of Pam-Kot CWR & Intermediate Pump House, Under Kho- Nagoriyan Water Supply Project Distt. Jaipur (FP/RJ/ WATER/44362/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्रांक प. 1(53) वन/2020 दिनांक 07.05.2021 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन-II, जयपुर द्वारा खो-नोगोरिया जल परियोजना के अन्तर्गत Pam-Kot CWR & Intermediate Pump House हेतु 0.66 हैं 0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन हेतु कुछ शर्ताधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के उपरांत प्रकरण में संबंधित विभाग/संरक्षा को वनभूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावें। साथ ही मोनिटरिंग रिपोर्ट भिजवायी जावें।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावें।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावें।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशिका के अनुसार मोनिटरिंग हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षकगणों के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं जो इस कार्यालय के पत्रांक एफ 14 ()2013 /एफसीए/ प्रमुवसं/ सीए/ 1456-1577 दि. 23.5.17 से आपको भिजवाये गये हैं, जिसकी पालना भी सुनिश्चित की जावें।

संलग्न: उक्तानुसार।

भवदीय,

५०

(वैकटेश शर्मा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(WATER/PHED)2020 / एफसीए/ प्रमुवसं/ 1463-67 दिनांक 15.6.21
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1(53)वन/2020 दिनांक 07.05.2021 के क्रम में।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई.टी.), अरण्य भवन, जयपुर को राज्य सरकार, वन विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 07.05.2021(प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की वैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिंडियाघर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ-साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:-

 - (i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
 5. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड II, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-302033.

संलग्न: उक्तानुसार।

५१

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (53) वन / 2020
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:- 07 MAY 2021

विषय:-Diversion of 0.66 ha. of forest land for construction of Pam-Kot CWR & Intermediate Pump House, Under Kho-Nagoriyan Water Supply Project District Jaipur.

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14(Water/PHED)2020 / एफसीए/ प्रमुखस / 1132
07.04.2021

दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन-ग, जयपुर द्वारा खो-नोगोरिया जल परियोजना के अन्तर्गत Pam-Kot CWR & Intermediate Pump House हेतु 0.66 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.07.2020 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान के पत्रांक एफ 14(Water/PHED)2020 / एफसीए/ प्रमुखस / 1132 दिनांक 07.04.2021 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.66 ha. of forest land for construction of Pam-Kot CWR & Intermediate Pump House, Under Kho-Nagoriyan Water Supply Project District Jaipur की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावें।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।



- 57
57
10. A Water hole (water Kheli) to be constructed by U/A outside their project area boundary towards forest area & it is to fitted with stop valve to ensure continuous water supply for wildlife inside the part. Water supply to be given by U/A free of cost as part of this project.
 11. Adjoining remaining forest area, 7 feet pucca wall with wire fencing to be erected to stop panther movement inside the project area.
 12. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 03.07.2020 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
 13. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
 14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

o/c

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ—226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम (दक्षिण), जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(शुभम जैन)
विशेषाधिकारी, वन o/c